29

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3401–पीबीआर/16 सुरजसिंह / नरेश जैन जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–7–2017	मेरे संज्ञान में यह तथ्य आया है कि निगरानी प्रकरण क्रमांक 3401–पीबीआर/2016 में दिनांक 9–3–2017 को पारित आदेश के प्रथम पैराग्राफ एवं अंतिम पैराग्राफ में टंकण त्रुटि के कारण अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–7–2016 के स्थान पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–2–2016 टंकित हो गया है । 2/ अतः निगरानी प्रकरण क्रमांक 3401–पीबीआर/2016 में पारित आदेश दिनांक 9–3–2017 के प्रथम पैराग्राफ एवं अंतिम पैराग्राफ में अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–2–2016 के स्थान पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–7–2016 पढ़ा जाये । यह आदेशिका मूल आदेश का अंग होगी । अध्यक्ष	

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3401–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–7–2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण कमांक 344/अपील/2009–10.

....

श्रीमती नूरजहॉ पत्नि श्री मुजीबुर्रहमान खॉन
निवासी एमआईजी ए–18 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी,
कोहेफिजा भोपाल

.... आवेदिका

विरूद्ध

श्री नरेश कुमार जैन आ0 फूलचन्द
निवासी मकान नम्बर 38, अब्दुलला शादी हॉल के सामने,
इतवारा भोपाल

.... अनावेदक

....

श्री रामगुल हसन, अभिभाषक–आवेदिका
श्री जोसफ थॉमस, अभिभाषक–अनावेदक

....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 9/3/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदिका द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.2.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बैरागढ़ के आदेश दिनांक 10–9–2009 के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदिका की ओर से व्यवहार न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई । प्रतिउत्तर में अनावेदक की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत अपील की छायाप्रति प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 29–7–2016 को अंतरिम आदेश पारित कर यह निष्कर्ष निकालते हुये कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में उभयपक्ष के मध्य व्यवहार न्यायालय दिनांक 11–9–2014 को आदेश पारित किया जा चुका है और जिसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है, अतः अपर आयुक्त द्वारा कार्यवाही की जाना उचित नहीं है, प्रकरण समाप्त किया गया । साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लंबित अपील प्रकरण कमांक 708/2014 में दिये गये निर्देशानुसार पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि पक्षकारों के मध्य स्वत्व का विवाद है तो उसके निराकरण का अधिकार व्यवहार न्यायालय को है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश था, जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिकता की गई और अपर आयुक्त द्वारा बिना गुण दोष पर विचार किये संक्षिप्त प्रकृति का आदेश पारित कर प्रकरण समाप्त करने में न्यायिक त्रुटि की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त को व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का निराकरण करना था, परन्तु उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपील लंबित होने के कारण प्रकरण समाप्त करने में विधि की गंभीर भूल की गई है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय से प्रकरण में स्थगन प्राप्त है अतः अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकती थी, इसलिये उनके द्वारा प्रकरण समाप्त क़रने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय से निर्णय हो चुका है, परन्तु उनके द्वारा केवल इस आधार पर उनके समक्ष प्रचलित कार्यवाही समाप्त कर दी गई है कि माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण लंबित है, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रचलित प्रकरण में किसी प्रकार का कोई स्थगन नहीं दिया गया है, केवल कब्जे के संबंध में स्थगन दिया गया है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का यह विधिक दायित्व है कि वे व्यवहार न्यायालय की डिक्री को ध्यान में रखते हुये प्रकरण में गुणदोष पर निर्णय लें । अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.2.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करने हेतु अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर